चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 27.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 27.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). दिनाँक 27.04.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकमल के पर्यवेक्षण में विगत 18 माह से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेंद्र प्रताप सिंह, उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह द्वारा सीतापुर मेला क्षेत्र में वैशाख मास अमावस्या मेला के अवसर पर दर्शन करने के लिये आये हुये श्रद्धालुओं को हल्का नाश्ता के रूप में पूड़ी सब्जी वितरित किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री बालकिशुन व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त नत्थू प्रसाद यादव पुत्र श्री बोधन यादव निवासी ग्राम गदाखान मजरा चन्द्रामारा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को एक झोले मे कुल 29 क्वार्टर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री बालकिशुन थाना बहिलपुरवा

2.उ0नि0 नन्दाराम

3. का0 जीतेन्द्र मौर्या

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्ग विजय सिंह द्वारा भोली भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1.बग्गड उर्फ मनोज कुमार पुत्र बसंत लाल निवासी शिवनगर मानिकपुर 2.राजा पुत्र रमेश सोनकर निवासी शिवनगर मानिकपुर 3.रमेश सोनकर पुत्र सूरज सोनकर निवासी शिवनगर मानिकपुर 4.बबली और बल्लू सोनकर पत्र बसंत लाल निवासीगण शिवनगर 5.शिव शंकर पुत्र उमाशंकर द्विवेदी निवासी वाल्मीकि नगर कस्बा थाना मानिकपुर 6.कुलदीप पुत्र शिव शंकर द्विवेदी निवासी शिवनगर कस्बा मानिकपुर 7.अशोक कुमार पुत्र उमाशंकर निवासी वाल्मीकि नगर कस्बा वाद थाना मानिकपुर 8.प्रदीप कुमार और छाप पुत्र राम आसरे निवासी वाल्मीकि नगर मानिकपुर के विरुद्ध धारा 129 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी।

(6). पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में दिनाँक 25.04.2025 से दिनाँक 01.05.2025 तक चल रहे द्वितीय चरण के 07 दिवसीय सीसीटीएनएस कैप्सूल कोर्स में नामित 12 पुलिसकर्मियों को प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल श्री निशिकान्त राय के मार्गदर्शन में साइबर सेल नियुक्त आरक्षी प्रशान्त कुमार द्वारा साइबर क्राइम के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया गया। पुलिसकर्मियों को वर्तमान समय में एपीके फाइल,आधार कार्ड के दुरुपयोग से होने वाले एवं विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम के सम्बन्ध में जागरुक किया गया साथ ही साइबर क्राइम की शिकायत के त्वरित निस्तारण हेतु प्रशिक्षित किया गया।

इस दौरान डिस्ट्रिक कोऑर्डिनेटर मनीष वर्मा उपस्थित रहे।